

अनूप कुमार मेंदीरत्ता  
सचिव  
Anoop Kumar Mendiratta  
Secretary



भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
विधायी विभाग  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LAW & JUSTICE  
LEGISLATIVE DEPARTMENT  
14 सितंबर, 2021  
Secretary (Posts)  
Dy. No. 4890-6  
Date 28/09/21

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
विधायी विभाग  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LAW & JUSTICE  
LEGISLATIVE DEPARTMENT  
14 सितंबर, 2021  
Secretary (Posts)  
Dy. No. 4890-6  
Date 28/09/21

फा. सं. : 1(5)/2016-वि.सा.प्र.(का.)

हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं

महोदय,

विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का एक खंड है। इस प्रकाशन की स्थापना वर्ष 1968 में, विधि के क्षेत्र में, सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए की गई थी। यह प्रकाशन, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तीन विधि पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहा है, जिनमें भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में पारित प्रतिवेद्य (रिपोर्टबल) निर्णयों को हिंदी में प्रकाशित किया जाता है। यह प्रकाशन, अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ के द्विभाषी संस्करणों, भारत के संविधान, निर्वाचन मैन्युअल, विधि शब्दावली और हिंदी में विधि पाठ्य पुस्तकों आदि के लिए प्रदर्शनी-सह-विक्रय का आयोजन भी करता है। यह प्रकाशन उपर्युक्त तीन पत्रिकाओं को अपनी वेबसाइट <http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya> पर भी होस्ट/अपलोड कर रहा है। यह भारत सरकार का एकमात्र ऐसा संगठन है, जो संविधान की भावना के अनुसार, विधि के क्षेत्र में हिंदी के संवर्धन और प्रचार-प्रसार में लगा हुआ है।

2. विधि साहित्य प्रकाशन ने, 'आजादी का अमृत महोत्सव' के समारोहों के अवसर पर, यह विनिश्चय किया है कि उसके पोर्टल (<http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya>) पर उपलब्ध हिंदी की इन तीन पत्रिकाओं को 75 सप्ताह की अवधि के लिए 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के समापन तक नि:शुल्क रूप से पी.डी.एफ. प्ररूप में उपलब्ध कराया जाए। यह लिंक सभी विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायालयों, अधिकरणों, जिला न्यायालयों, विधि संघों, विधि परिषदों और इस देश के प्रत्येक नागरिक को, देश में सभी स्तरों पर विधिक शिक्षा प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसका संवर्धन करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

3. अतः, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप अपने प्रतिष्ठित संस्थान के पोर्टल पर (<http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya>) वेबसाइट का हाइपर-लिंक उपलब्ध कराएं और साथ ही विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और सांविधानिक अधिदेश को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए इस जानकारी को संबद्ध व्यक्तियों तक प्रचार-प्रसार करें और संविधान में अनुष्ठापित इस उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग दें।

म. 21/09/21  
21/09/21  
अ. निदेशक [21.09.21]  
सादर।

34  
28/9/21  
नि. (वि. प्रका.) (म. प्र.) (वि. प्र.)  
28/9/21

Secretary (Posts) has seen.

28/9/21  
CA to Secy (P)

आपका  
[Signature]  
(अनूप कुमार मेंदीरत्ता)